

ग्रामना क्रम ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	आरक्षित करने वाले ग्रामों के नाम	आरक्षित ग्रामों से कारखाने की दूरी	ग्रामों का क्षेत्रफल (हे०) में		
				पेड़ी	पौधा	कुल योग
खजुरी (पम्पापुर)	अम्बिकापुर (जिला-सरगुजा)	1 ससकाली	50	2.028	0.520	2.548
		2 पम्पापुर	54	7.787	0.000	7.787
		3 नवानगर	55	21.193	0.767	21.960
		4 छिन्दकाली	44	0.268	0.000	0.268
		5 खजुरी	50	2.470	3.320	5.790
		6 करी(पाटीपारा)	88	4.959	3.442	8.401
		योग		38.705	8.049	46.754
खजुरी (पम्पापुर)	बतौली (जिला-सरगुजा)	1 चिरंगा	69	10.21	7.195	17.405
		2 उमापुर	58	2.626	0.515	3.141
		3 मांजा	65	3.353	4.708	8.061
		योग		16.189	12.418	28.607
		कुलयोग		54.894	20.467	75.361

कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/528/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

2. अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के दूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद्वारा, विलोपित करता हूँ.

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बोईरगांव	260.511 हे.	32	मेचकत	नगरी	धमतरी

क्रमांक/529/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के दूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूँ।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	सीनपुर	386.20 एकड़	26	बांसपानी	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/530/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के दूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूँ।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	देवखुट	1074.00 एकड़	25	बांसपानी	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/531/2014-यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 93 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के दूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूँ।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	बनोरा (मा.गु.)	495.52 एकड़	24	बेलरगांव	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/532/2014-यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के दूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूँ।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	बेम (मा.गु.)	464.00 एकड़	24	बेलरगांव	नगरी	धमतरी

क्रमांक/533/2014.-यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तिय अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के रूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूँ।

अनुसूची.

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	वेम (रियत)	129.66 एकड़	24	बेलरगाँव	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/534/2014.-यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तिय अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के रूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूँ।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	कसलौर	156.454 हे.	32	बेलरबाहरा	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/535/2014.-यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूँ।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	हरपदर	62.002 हे.	32	बेलरबाहरी	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/536/2014.-यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूँ।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	ठेगसरा	629.72	31		धमतरी	धमतरी

क्रमांक/537/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूँ।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	ठेमली	377.77	31	—	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/538/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूँ।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	लमकेनी	265.24	29	—	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/539/2014.-यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियाँ अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के दूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूँ।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	बसत	436.92	31	—	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/540/2014.-यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियाँ अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के दूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूँ।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	भुडपार	216.84	30	—	धमतरी	धमतरी

क्रमांक/541/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	कोरलमा	242.69	30	—	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/542/2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	कोकडी	350.87	30	—	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/543/2014.-यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहरताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के दूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करत हूं।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	दरगहन	152.79	29	—	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/544/2014.-यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहरताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के दूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करत हूं।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	बटरेल	238.68	28	—	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/545/2014.-यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूँ।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	खेरथा	310.41	28	-	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/546/2014.-यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूँ।

अनुसूची

खारव ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चंदर	690.29	26	—	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/547/2014.-यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूँ।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	चापगांव	448.70	26	—	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/548/2014.-यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूँ।

अनुसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	तुमाखुर्द	206.72	26	—	धमतरी	धमतरी